यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून के माह 01/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री जतिन राणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री बी॰ डी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 16.01.2018 से 27.01.2018 व 06.02.2018 से 09.02.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः **इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा** जो श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेंखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2017 से 17.01.2017 तक श्री दिनेश कुमार पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। जिसमें माह 12/2015 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र -: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखंड प्रदेश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों का संचालन, भौगोलिक क्षेत्र समस्त उत्तराखंड प्रदेश |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत	आधिक्य **(+)**	बचत
2016-17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2017-18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (जनवरी 2018 तक)**
प्रारम्भिक शेष	रु० 409.63 लाख	रु० 437.33 लाख	रु० 131.48 लाख	रु० 326.87 लाख
आवंटन				
(i) राजयांश	-	-	-	-
(ii) केंद्रान्श	रु० 1,065.77 लाख	रु० 969.49 लाख	रु० 1,210.97 लाख	रु० 810.96 लाख
(iii) अन्य (बैंक ब्याज आदि)	रु० 16.97 लाख	रु० 11.09 लाख	रु० 19.79 लाख	रु० 17.22 लाख
योग	रु० 1,492.37 लाख	रु०1,417.91लाख	रु० 1,362.34 लाख	रु०1,155.05लाख
व्यय	रु० 1055.04 लाख	रु०1286.43 लाख	रु० 1035.47 लाख	रु० 665.71 लाख
शेष	रु० 437.33 लाख	रु० 131.48 लाख	रु० 326.87 लाख	रु० 489.34 लाख

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. मुख्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य
3. परियोजना अधिकारी
4. अपर परियोजना अधिकारी/सदस्य सचिव

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा, 01/2017 से 12/2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयीI यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गयाI प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर 1:- अग्रिम धनराशि रू॰ **99,27,494/-** का समायोजन न किया जाना ।

कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, देहरादून से संबधित लेखा-अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि बर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (12/17 तक) मे USACS के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओ के तहत अग्रिम प्रदान किए गए था जिसका विवरण निमन्वत है:-

Party Name	2016-17	2017-18 (Upto 12/2017)	Total Pending Advance amount as on 31.12.2017
Advance to other	0	0	0
Advance to NGO's	13,5000	48,15,213	49,50,213
Advance to staff	0	1500	1500
Advance to autonomous bodies	97,880	13,75,000	14,72,880
Advance to District Authorities	36,497	4,15,400	4,51,897
Advance to District Hospitals	1,24,212	12,69,099	13,93,311
NACP-III Advance to others	15,29,105	0	15,29,105
NACP-III Advance to Autonomous Bodies	93,088	0	93,088
NACP-III security Deposite Paid	35,500	0	35,500
Grand total	20,51,282	78,76,212	99,27,494

उक्त अग्रिमो का समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया है जो वित्तीय नियमो के विरुद्ध है अग्रिम धनराशि का समायोजन शीघ्र किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त NACO की guidelines के अनुसार " The minimum quarterly target for expenditure has been earmarked at 19%, 24%, 24%, & 33% respectively for each quarter. This as per requirement of the modified cash management system wherein" quarterly targeted budget allocation" is to be maintained.

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, देहरादून ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "लम्बित अग्रिम धनराशि के समायोजन हेतु समिति कार्यालय द्वारा निरन्तर एवं प्रभावी प्रयास किया जा रहा है तथा कार्यक्रम की हित में कार्यदायी संस्थाओ को पूर्व में दिये गए अग्रिमों की धनराशि का समायोजन लम्बित रहने के बाद भी अग्रिम दिया गया है"|

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लंबित अग्रिम धनराशि के समायोजन के उपरांत ही नया अग्रिम धनराशि अवमुक्त किया जाना चाहिए था|

अतः अग्रिम धनराशि रू॰99,27,494/- का समायोजन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है|

STAN

<u>प्रस्तर</u> **1:-** भौतिक सत्यापन के उपरांत निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुये उपकरण/सामग्रियों की लेखा पीरक्षा तिथि तक मरम्मत एवं निष्प्रयोज्य घोषित न कर, नीलाम न किया जाना। (कुल मूल्य **₹ 1946647/-)**

कार्यालय अपर परियोजना निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून के भौतिक सत्यापन संबंधी पत्रावली की लेखापरीक्षा में पाया गया कि, कार्यालय में अप्रयुक्त कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक एवं अन्य सामग्री (फर्नीचर आदि) वित्तीय वर्ष 2001-02 व 2002-03 से चालू अवस्था में नहीं है। उपरोक्त सामग्री व उपकरणो का वार्षिक मूल्यह्रास पद्धति द्वारा मूल्य ज्ञात भी नहीं किया जाता रहा है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त सामग्रियों का आरंभिक मूल्य कुल ₹ 1946647/- (उन्नीस लाख छियालीस हजार छः सौ सैंतालीस मात्र) है। संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया है, कि अप्रयुक्त कम्प्यूटर एवं उपकरणो जिनका कुल मून्य ₹ 610046/- है, की अंतिम भौतिक सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, अन्य फर्निचर व इलेक्ट्रोनिक उपकरणो आदि जिनका कुल मूल्य ₹ 133601/- है, के संबंध में संप्रेक्षा को अवगत कराया गया कि जो परिसंपत्तियाँ चालू अवस्था में नहीं है, उन्हे नीलाम करने हेतु नाको (NACO) से आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जा रहे हैं एवं यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में Depreciation Method लागू किया जाएगा, स्क्रैप मूल्य आगणित की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि नाको, भारत सरकार के पत्रांक Z-17018/04/2014-NACO(F),dt 29/08/2018 में विलकुल स्पष्ट है कि, SACS कार्यालयों में आठ वर्षो के अधिक समय के कम्प्यूटर तथा छः वर्षो से खराब पड़ी मशीनों को बदला जाना चाहिए। दिनांक 09/06/2016 को भौतिक सत्यापन हेतु गठित कमेटी के कार्यवृत के अनुसार जो परिसंपत्तियाँ (Electronic and Technical equipment) कार्यशील नहीं हैं, तथा मरम्मत योग्य है, की फर्म व टेक्निकल व्यक्ति से निरीत्रण आख्या प्राप्त कर कार्यवाही की जानी होगी।

चूंकि इकाई को निष्प्रयोज्य सामग्रियों पर कार्यवाही करने संबंधी पत्र प्राप्त हुए तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, व भौतिक सत्यापन कमेटी के कार्यवृत्त पर भी लेखा परीक्षा तिथि तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है, अतः इकाई में निष्प्रयोज्य समस्त सामग्रियों, जिनकी कुल मूल्य ₹ 1946647/- है, को नीलाम न किए जाने व मूल्यह्रास पद्धति द्वारा मूल्यांकन न करने के प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

<u>प्रस्तर</u> **2:-** ठेकेदार के बिल से धरोहर राशि **₹ 66,700/-** अनुचित कटौती किया जाना।

HIV/AIDS के नियंत्रण एवं बचाव हेतु, राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न जगहों (जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों का आगमन हो) में वॉल राइटिंग गतिविधि की गई थी। इस कार्य का कार्यदेश M/s Ujjawal Gramvikas Samiti, Dehradun को आवंटित किया गया था। तथा फर्म द्वारा ₹ 66,700/- की धनराशि धरोहर स्वरूप इकाई में जमा की गई थी।

अनुबंध के अनुसार वॉल राइटिंग का कार्य 45 दिन की अवधि में दिनांक 16 फरवरी 2017 तक पूर्ण किया जाना था, हालांकि, यह कार्य निष्पादित करने में फर्म द्वारा 34 दिन (लगभग 5 हफ्ते) का अतिरिक्त समय लिया गया था, जिसके एवंज में इकाई द्वारा भुगतान के समय धरोहर राशि की कटौती कर ली गयी था।

नाको (NACO) गाइडलाइन के अनुसार कार्य में विलम्ब हो जाने के फलस्वरूप कार्य दर बढाने तथा राजस्व हानि होने पर प्रति सप्ताह ½% की दर से लिक्विडेटेड डैमेज की कटौती की जानी चाहिए, जो कि अधिकतम 10% तक हो सकती थी। इस प्रकार फर्म के बीजक से गणनानुसार ₹ 16,672/- की कटौती कि जा सकती थी।

अतः धरोहर राशि ₹ 66,700/- की अनुचित कटौती किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
81/2011–12	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4
172/2013–14	1	1,2
138/2016-17	1	1,2,3,4,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2011-12/ AIR- 81	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1, 2, 3 ,4,5,6 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
2013-14/ AIR- 172	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR-138/ 2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2,3,4,5	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-
अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ0 वी॰ एस॰ टोलिया	अपर परियोजना निदेशक	27.06.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी**,** देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकर भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखंड," को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.